आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर
26.06.2024	प्रार्थी इन्द्रजीत सिंह द्वारा दिनांक 31.01.2023 को प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वाद पत्र को पुनः रेस्टोर करने एवं पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र मे तथ्य के आधार पर उक्त अनवानी वाद पत्र दिनांक 28.11.2016 को वादी एवं वादी वकील की गैर हाजरी में अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज अथवा निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई अभिवचन अथवा समुचित दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रार्थी उक्त वाद के निरस्त होने के लगभग 8 वर्ष पश्चात् समुचित आधार मानते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त परीक्षण एवं प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में देरी का कोई समुचित आधार नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य ना होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो।